

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 752-A/XXIV(8)/2010-61/09 दिनांक 8 जून, 2010 द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मदे	शुल्क दरें रू० में
1	शिक्षण शुल्क	6000.00
2	छात्र निधि शुल्क	3950.00
	1 प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
	2 परिचय पत्र शुल्क	50.00
	3 क्रीडा शुल्क	250.00
	4 वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
	5 शैक्षिक परीक्षा शुल्क	200.00
	6 मैग्जीन शुल्क	100.00
	7 हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
	8 विद्युत शुल्क	700.00
	9 कॉसन मनी संस्थागत (refundable)	200.00
	10 शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
	11 अनुरक्षण शुल्क	1000.00
	12 कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	250.00
	13 विकास/भवन विकास शुल्क	300.00
	14 पुस्तकालय शुल्क	100.00
	15 चिकित्सा शुल्क	0.00
	16 छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
	17 एन०सी०सी० शुल्क	100.00
	18 पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	<b>छात्रावास शुल्क</b>	<b>2550.00</b>
	19 छात्रावास शुल्क	600.00
	20 छात्रावास काशन मनी	200.00
	21 छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	1000.00
	22 छात्रावास विद्युत शुल्क	700.00
	23 बर्तन चन्दा	50.00
3	बोर्ड परीक्षा शुल्क	
	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	500.00
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्कूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
	(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
	पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय